

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 31/2026

GCMS No. : 2026/65

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|--|------|--|
| जरिये सरकार सुरेशचंद शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली | | 1. कपिल आईलानी पुत्र श्री हरीश भाई जाति सिंधी निवासी 5 ई 18 न्यु हाउसिंग बोर्ड जिला पाली मैसर्स नत्थु लाल पारुमल दुकान नम्बर 04 स्टेशन रोड चौराहा पाली के गोदाम मे जिला पाली |

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51”

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं तथा उनके अधिवक्ता श्री योगेन्द्र ओझा उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक: 23.03.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक प.5(01)चिस्वा/गुप-3/2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ./खा.सु एवं औ.नि./संस्था/2025/101/दिनांक 15.01.2025 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया हैं एवं पाली जिले में आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र प्रार्थी के कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 11.02.2025 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स नत्थु लाल पारुमल दुकान नम्बर 04 स्टेशन रोड चौराहा पाली



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

के गोदाम पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से उसका परिचय पुछने पर उसने अपना नाम कपिल आईलानी पुत्र हरीश भाई बताया एवं स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। फर्म के निरीक्षण के दौरान एक रोक में लगभग 03 बोरे (105 पैकेट प्रति बोरा) तानसेन ब्ल्यू रखी हुयी थी। जिसे अप्रार्थी आमजन को विक्रय कर रहा था। जिसमें सन्देह होने पर रूबरू गवाहान के सामने तानसेन ब्ल्यू का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। मौके पर उपस्थित नीतीन लखवानी स्वतंत्र गवाह एवं साथ आये कम्प्युटर ऑपरेटर ओमप्रकाश प्रजापत कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की तानसेन ब्ल्यू का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में तानसेन ब्ल्यू वास्ते जांच हेतु 4 पैकेट 2240 ग्राम क्रय कर उसकी कीमत 4000/- रुपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा तानसेन ब्ल्यू को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-2816 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमूनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया तानसेन ब्ल्यू का नमुना संख्या आर-2816 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/413/एक्ट/2025/816 दिनांक 12.03.2025 के अनुसार Un-safe (अनसेफ) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जांच पुनः करवाना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। जिस पर अप्रार्थी ने तानसेन ब्ल्यू की पुनः जांच करवाने हेतु प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया जिस पर उक्त नमुना तानसेन ब्ल्यू को पुनः जांच हेतु रेफरेल खाद्य प्रयोगशाला मैसुर भेजा जहां से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्युसीएल/एफएसएसए (768एफ)



[Handwritten Signature]
भातरिकत जिला मजिस्ट्रेट
पाली

/2025 दिनांक 30.07.2025 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) तानसेन ब्ल्यु का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त कथन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ तानसेन ब्ल्यु होलसेल विक्रेता से खरीद किया जाता है एवं जिस अवस्था में खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है। तानसेन ब्ल्यु के लेबलिंग पैकेजिंग एवं उत्पाद में किसी प्रकार की फ़ैर बदल/मिलावट हमारी फर्म द्वारा नहीं की जाती है। ऐसे में उक्त तानसेन ब्ल्यु के अवमानक होने में हमारी फर्म का कोई दोष नहीं है। अतः श्रीमान निवेदन है कि अप्रार्थी के प्रति नम्र रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण करावें।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.02.2025 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स नत्थु लाल पारूमल दुकान नम्बर 04 स्टेशन रोड चौराहा पाली के गोदाम से लिया गया तानसेन ब्ल्यु का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-2816 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये तानसेन ब्ल्यु का नमुना कोड संख्या आर-2816 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया तानसेन ब्ल्यु का नमुना Unsafe (अनसेफ) पाया गया, जिसकी प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवायी जाने पर अप्रार्थी ने तानसेन ब्ल्यु कि पुनः जांच करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर उक्त तानसेन ब्ल्यु का नमुना रेफरेल खाद्य प्रयोगशाला मैसुर भिजवाया गया जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवमानक पाया गया। प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से तानसेन ब्ल्यु का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानको को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर एवं मैसुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने अवमानक स्तर का तानसेन ब्ल्यु आमजन को



Handwritten signature

बाहिरिक जिला मजिस्ट्रेट
पाली

विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) तानसेन ब्ल्यू का विक्रय किये जाने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 15,000/-रूपये अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से 15 दिवस में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

